नागरिको के लिए सूचनार्थ

राँची मंडल में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों में प्रायः गलतियाँ/विसंगतियां देखने को मिल रही है, अतः असुविधा से बचने के लिए निम्न तथ्य सूचनार्थ है :-

1.राँची मंडल में 03 जन सूचना अधिकारी (PIOs) नामित किये गए है जिनका विवरण निम्नलिखित है :-

(i) वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी (Sr.DPO)

(ii) वरिष्ठ मंडल अभियंता (समन्वय) (Sr.DEN(Co-ord))

(iii) वरिष्ट मंडल वाणिज्य प्रबंधक (Sr.DCM)

उपरोक्त नामित जन सूचना अधिकारी (PIOs) को आवेदन कर संबंधित जन सूचना अधिकारी से सीधे ही सूचना प्राप्त किया जा सकता है I

2. सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क के रूप में जो डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या भारतीय पोस्टल आर्डर प्रस्तुत किये जाते है उसमे अक्सर गलतियाँ मिलती है जिसमे जन सूचना अधिकारी या मंडल रेल प्रबंधक के नाम से या किसी भी पदाधिकारी के नाम से शुल्क देय दिखाया जाता है जबकि आप सभी को यह सलाह दी जाती है कि सूचना प्राप्ति हेतु निर्धारित शुल्क के रूप में 10 रूपये मूल्य के डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या भारतीय पोस्टल आर्डर जो भी हो निम्न पते पर देय हो, स्वीकार किये जाते है जोकि निम्नलिखित है :-

"FA & CAO, S.E.Railway" के नाम से देय हो एवं

'Ranchi' में भुगतेय हो I

आप चाहे तो किसी भी स्टेशन में 10 रूपये का शुल्क जमा कर मूल कैश रिसिप्ट (Original cash receipt) प्राप्त करने के बाद इसे आवेदन के साथ प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त कर सकते है I

3. आप चाहे तो घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन कर घर बैठे ही सूचना प्राप्त कर सकते है I यह सुविधा आपको ऑनलाइन माध्यम में निम्न एड्रेस पर मिलेगी :-

https://rtionline.gov.in-Submit request-Guidelines submit-Public Authority details-Ministry of Railway-South Eastern Railway.

धन्यवाद I